महत्वपूर्ण एवं खास

समावेशी शिक्षा अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर पद के लिए 18 सितम्बर तक मंगाए गए आवेदन

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ के द्वारा समावेशी शिक्षा अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर के पद के लिए 18 सितम्बर 2024 तक आवेदन मंगाए गए है। विज्ञापित किये गये 02 पदों में से अनुसूचित जनजाति वर्ग मुक्त के लिये 01 पद एवं अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 01 पद शामिल है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए रायगढ़ जिले के वेबसाइट www.raigarh.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप भी आवेदक वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्राकृतिक आपदा क्षेत्र के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज

सारंगढ़ बिलाईगढ़। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों से वर्ष 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देने हेतु भारत सरकार ने आवेदन आमंत्रित किया है। ऐसे बहादुर व्यक्ति या संस्था जिन्होंने प्राकृतिक आपदा में उत्कृष्ट कार्य किया है, वो इस पुरस्कार के लिए निर्धारित प्रपत्र में 31 अगस्त 2024 तक ऑनलाईन नामांकन प्रस्ताव पोर्टल अवार्ड्स डॉट जीओवी डॉट इन https://awards.gov.in पर भर सकते हैं। इस पुरस्कार की घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मतिथि पर की जाएगी। इसमें पुरस्कार राशि 51 लाख रूपए और 5 लाख रुपए निर्धारित है।

एसएसपी ने प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षकों को किया सस्पेंड

रायपुर (आरएनएस)। एसएसपी संतोष सिंह ने शराब विक्रय से जुड़े आरोपियों के विरूद्ध शिथिल कार्यवाही करने के मामले में एक प्रधान आरक्षक तथा वर्दी पहनकर अवैध शराब विक्रय में संदिग्ध संलिप्तता पाए जाने के मामले में दो आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के अनुसार थाना विधानसभा में दिनांक 14.08.2024 को रात्रिकालीन ड्यूटी में तैनात प्रधान आरक्षक 1798 देवानंद वर्मा द्वारा ड्यूटी के दौरान रात्रि में ग्राम दोंदेकला में घटित घटना और अवैध शराब विक्रय से जुड़े आरोपियों के विरूद्ध शिथिल कार्यवाही करते हुये, अपने पदीय कर्तव्यों का समुचित ढंग से निर्वहन न कर घोर लापरवाही बरतने के फलस्वरूप प्रधान आरक्षक 1798 देवानंद वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं जिला रायपुर के थाना पुरानीबस्ती अंतर्गत संचालित डॉयल 112 वाहन के टाइगर 2 में तैनात आरक्षक 2637 प्रकाश ओगरे थाना पुरानीबस्ती एवं टाइगर 3 में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 1917 प्रमेश देवागंन के द्वारा अपने शासकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान निर्धारित वर्दी धारण किये हुये, अवैध शराब बिक्री में संदिग्ध संलिप्तता व आचरण प्रदर्शित करने के परिणामस्वरूप उपरोक्त दोनों आरक्षकों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. संतोष कुमार सिंह के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। रक्षित केन्द्र रायपुर संबद्ध किया गया है इस दौरान निलंबन अवधि इन दोनों के शासन के नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता दिया जायेगा।

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने शरीर के अंगों का दान करने का लिया संकल्प

अंबिकापुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपने शरीर के अंगों का दान करने का संकल्प लिया है. मृत्यु के बाद किडनी, लीवर, दोनों आंख समेत अन्य अंगों का दान किया जाएगा. टीएस सिंहदेव ने कहा, मेरी इच्छा है कि मृत्युपरांत मेरे शरीर का अंग किसी के काम आ सके. बता दें कि त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव का जन्म 31 अक्टूबर 1952 को हुआ है. उन्हें टीएस सिंह देव या टीएस बाबा के नाम से भी जाना जाता है. सिंहदेव अंबिकापुर से एक राजनीतिज्ञ हैं. वे जून 2023 से दिसंबर 2023 तक छत्तीसगढ़ के पहले उपमुख्यमंत्री रहे. टीएस सिंहदेव सरगुजा के वर्तमान महाराजा हैं, जिसका मुख्यालय अंबिकापुर में है।

कलेक्टर की मेगा बैठक: जिले के सभी 549 सचिवों से कलेक्टर ने किया सीधा संवाद, कार्यों की समीक्षा कर कहा जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए काम

- गांवों के विकास में आपकी भूमिका अहम, जिम्मेदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से करें कार्य-कलेक्टर गोयल
- ग्राम पंचायत स्तर पर लंबित सभी कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश
- उत्कृष्ट कार्य वाले पंचायत सचिव हुए सम्मानित

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने विशेष पहल करते हुए आज नगर निगम ऑडिटोरियम, रायगढ़ में 549 ग्राम पंचायतों के सचिवों की मेगा बैठक लेकर उनसे सीधा संवाद करते हुए उनके कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम विकास योजना, ग्राम स्तर पर स्वीकृत निर्माण कार्यों की अद्यतन प्रगति एवं योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए लंबित भुगतान, एंट्री के कार्यों को अति शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव भी इस बैठक में उपस्थित रहे।

कलेक्टर गोयल ने ग्राम पंचायतों की स्वीकृत कार्यों के प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि विभिन्न वर्षो के अधोसंरचना निर्माण जैसे विभिन्न कार्य लंबित है, यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने सभी ग्राम पंचायत सचिवों को 15 वे वित्त के प्रगतिरत सभी कार्यों को अति शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी मद के कार्यों का स्थल चयन एवं ग्राम सभा के अनुमोदन के साथ ही भेजे और सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता पूर्ण करें। कलेक्टर गोयल ने कहा कि पीएम आवास में आपका अच्छा सहयोग रहा है, जिससे जिला बेहतर पायदान पर है, आगे भी नए कार्य स्वीकृत हो रहे है उन्हे भी तत्परता से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में समय से राशन वितरण, आंगनबाड़ी,स्कूल एवं स्वास्थ्य केंद्र नियमित रूप से खुले मेरी पहली प्राथमिकता है।

गांव में स्वच्छ भारत मिशन एवं जल जीवन मिशन के कार्य किए जा रहे है। ताकि कचरा कलेक्शन के साथ हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंच सके। गांव में स्वच्छ और शुद्ध पेयजल मिले ताकि ग्रामीणों को बीमारियों से बचाया जा सके। हमारे लिए हर एक बच्चा महत्वपूर्ण है, चूंकि वह भारत का भविष्य है। स्वस्थ बच्चे के लिए शुद्ध पेयजल और स्वच्छ वातावरण बनाना होगा, ताकि वह हमारे देश के विकास में अपना विशिष्ट योगदान दे सके। इसके साथ ही सकारात्मक बदलाव लाए और स्थानीय परिसंपतियों के बेहतर संचालन के लिए यूजर चार्ज के लिए लोगों को प्रेरित करें ताकि इसका संचालन और बेहतर तरीके से कर सके। आयुष्मान कार्ड, आधार बेस्ड पेमेंट, ई-केवाईसी जैसे छोटे-छोटे कार्य किसी व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव ला सकते है, इसलिए सभी अच्छे से कार्य करें। उन्होंने आंगन बाड़ी निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम में आंगनबाड़ी संचालित हो रही है, जहां गर्म भोजन के साथ ही रेडी टू ईट प्रदान किया जाना है। इसमें आप सभी सचिव, सरपंच एवं पंच क्रमश: निरीक्षण करे साथ ही एंट्री करवाए। नियमित पूरक आहार मिले और शिशु के साथ माता स्वास्थ्य रहे यह हम सब की जिम्मेदारी है। गांव और देश को संवारने की जिम्मेदारी आपकी है, आज गांवों के विकास के लिए बड़ी राशि खर्च की जा रही है, जिससे आप गांवों की तस्वीर बदल सकते है। सभी जिम्मेदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से कार्य करे।

सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव ने कहा कि सभी ग्रामों के लंबित सभी कार्य गुणवत्ता के साथ अति शीघ्र पूर्ण होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान एवं आधार सीडिंग में बेहतर कार्य हुआ है। इसी प्रकार सभी कार्य में प्रगति लाए। उन्होंने एनआरएलएम अंतर्गत स्व-सहायता समूहों में लक्षित परिवारों के शत-प्रतिशत समावेशन, बीमा योजनाओं से ग्रामीण परिवारों को जोडऩे, बीसी सखी के माध्यम से फ्लेगशिप स्कीम के डिजीटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यो को पूर्ण करने के लिए कहा। पीएमएवाय के लंबित एवं अपूर्ण आवास को पूरा करते हुए नये आवासों के रजिस्ट्रेशन के लिए निर्देशित किया। साथ ही मनरेगा, आधार बेस्ड भुगतान, आंगनबाड़ी निर्माण, ई ग्राम स्वराज एवं 15 वें वित्त के साथ पंचायतों में शत-प्रतिशत हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निर्माण की समीक्षा की।

कार्यों में लापरवाही करने वाले सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिए निर्देश- कलेक्टर गोयल ने ग्राम पंचायत स्तर के विभिन्न निर्माण कार्यों में रुचि नहीं दिखाने व कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर सीईओ जनपद को सचिवों को कारण बताओ नोटिस एवं विभागीय जांच के निर्देश दिए। उन्होंने राजकोट, रूमकेरा जैसे विभिन्न पंचायतों में कार्यों की अच्छी प्रगति एवं भुगतान की स्थिति की सराहना करते हुए वहा के सचिवों से कार्यों प्रगति की रुपरेखा के संबंध में जानकारी भी ली।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना लागू : 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को योजना में किया गया शामिल

रायगढ़

छ.ग. शासन द्वारा राज्य के गरीब छात्र-छात्राओं के उच्च अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के कुल 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को योजना में शामिल किया गया है। योजना की विस्तृत जानकारी संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छ.ग. की वेब साईट www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण ने जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेशित ऐसे छात्रों को जो 2 लाख की वार्षिक आय से कम वाले परिवार, उनको मोरेटोरियम अवधि के पश्चात् ऋण किश्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में केवल 1 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। शेष ब्याज की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सीधे संबंधित बैंक को किया जायेगा। राज्य के नक्सल प्रभावित जिले बस्तर, कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डागांव और बलरामपुर जिले के छात्रों को ब्याज रहित ऋण मिलेगा।

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु छात्र को छ.ग. का मूल निवासी होना चाहिए, राज्य में स्थापित तथा सक्षम प्राधिकारी जैसे-एआईसीटीई यूजीसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित हो, ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रू. 4 लाख है, अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऋण किश्तों का भुगतान अनिवार्य है, ड्रापआउट एवं निष्कासित छात्र इस योजना के लाभार्थी नहीं बने रहेंगे किन्तु चिकित्सीय कारणों से, एक वर्ष की अधिकतम सीमा तक अध्ययन में रूकावट होने की दशा में पात्रता बनी रहेगी।

पाठ्यक्रमों की सूची-बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी (बी.ई./बी.टेक), मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (एम.ई.) मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक.), बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी.फार्मा), मास्टर ऑफ फार्मेसी (एम फार्मा), डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी फार्मा), बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.), डिप्लोमा इन एजुकेशन (डी.एड.), मास्टर ऑफ एजूकेशन (एम.एड.), मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स (एमसीए), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.) डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (डी.ई.), डिप्लोमा इन मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइन, डिप्लोमा इन कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर (डी.आर्क) पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (पीजीडीसीए), बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी.एड.), मास्टर का फिजिकल एजुकेशन (एम.पी.एड.),बैचलर ऑफ होमियोपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.), बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.ए.एम.एस.), बैचलर ऑफ नेचरोपैथी एंड योगा साइंस (बी.एन.वाई.एस.) सहित अन्य पाठ्यक्रम शामिल है।

राशन दुकान में 42 लाख की गड़बड़ी, दो संचालकों के खिलाफ जुर्म दर्ज

बिलासपुर (आरएनएस)। जिले के सरकंडा क्षेत्र अंतर्गत सरकारी राशन दुकान में 42 लाख रुपये की गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। जिसके बाद उक्त मामले में दो दुकान संचालकों के खिलाफ अपराध दर्ज कराई गई है। बतादे कि कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश के बाद खाद्य विभाग ने जांच करते हुए कार्रवाई की, वही जानकारी है कि सरकंडा पुलिस ने हेराफेरी करने वाले दोनों दुकान संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। इधर सरकारी राशन दुकान में हुए गड़बडिय़ों को लेकर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया जिसके बाद खाद्य निरीक्षकों ने मुक्तिधाम चौक सरकंडा में संचालित राशन दुकान की जांच की, इस दौरान अजय मिश्रा द्वारा संचालित राशन दुकान आईडी क्रमांक 401001070 में गड़बड़ी मिली इसके साथ ही शासकीय उचित मूल्य दुकान बजरंग प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, सरकंडा आई.डी. क. 401001083 के संचालक कैलाशनाथ मिश्रा के दुकान में भी गड़बड़ी पाई गई थी। जहा जांच के दौरान एक दुकान में 31 लाख 86 हजार 252 का राशन की कमी पाई गई, वहीं दूसरे में 10 लाख 20 हजार 169 रूपए रूपये का खाद्यान्न की कमी पाई गई।

हत्या के आरोपी को चौकी चैतमा पुलिस ने पकड़ा

कोरबा । आरएनएस

सूचक सत्यनारायण सिंह कंवर पिता गंभीर सिंह कंवर उम्र 54 वर्ष सा. कांजीपानी चौकी चैतमा थाना पाली जिला कोरबा छ.ग. के उपस्थित आकर घटना स्थल भंवर तालाब घुनघुटटीपारा कांजीपानी के मेंड के नीचे एक अज्ञात महिला उम्र करीब 30-35 वर्ष की दिनांक 25-26.04.2024 की दरम्यानी रात मृत पीठ के बल पडी है नाक से खून निकला है कि सूचक की रिपोर्ट पर मर्ग क्रं. 00/2024 धारा 174 जाफौ कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया। घटना के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश एवं अति.पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा नेहा वर्मा, पुलिस अनु.अधि. पंकज ठाकुर, थाना प्रभारी महोदय पाली चमनलाल सिंहा के मार्गदर्शन पर दौरान मर्ग जांच पंचनामा कार्यवाही के पहचान कार्यवाही में मृतिका का नाम श्रीमति शकुन्तला रात्रे पति भजोराम रात्रे उम्र 38 वर्ष सा. बांकीमोंगरा शांति नगर क्वा. नं. 100/09 थाना बांकीमोगरा जिला कोरबा छ.ग. के रूप में हुआ। पुलिस की जांच के दौरान संदेही आरोपी मुकेश कुमार कुर्रे पिता स्व लखनलाल कुर्रे निवासी ग्राम खिसोरा थाना नवागढ जिला जांजगीर चाम्पा हा.मु. आसमां सिटी बिलासपुर के विरूद्ध अपराध प्रथम दृष्टया घटित करना प्रतित होने से संदेही के विरूद्ध धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था दौरान अपराध विवेचना आरोपी मुकेश कुमार कुर्रे के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

राज्यपाल ने पुरातत्व नगरी सिरपुर का किया भ्रमण

- एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत आम पेड़ का किया रोपण
- लक्ष्मण मंदिर, तिवरदेव विहार और सुरंग टीला का किया अवलोकन
- मंदिरों के निर्माण शैली को देखकर हुए अभिभूत

महासमुंद । आरएनएस

महामहिम राज्यपाल रमेन डेका महासमुंद प्रवास के दौरान आज शाम पुरातत्व और ऐतिहासिक नगरी सिरपुर में प्रसिद्ध और प्राचीन लक्ष्मण मंदिर का अवलोकन किया। राज्यपाल मंदिर की भव्यता और निर्माण शैली को देखकर मंत्रमुग्ध हुए। ज्ञात है यह मंदिर केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। जिसका निर्माण 6 वीं शताब्दी मे किया गया था। इस मंदिर की विशेषता है कि यह लाल ईंटों से निर्मित है। इसके अलावा राज्यपाल ने तिवरदेव विहार और सुरंग टीला का भी अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने मंदिरों के इतिहास और निर्माण शैली की विस्तार से जानकारी दी। राज्यपाल ने इस अवसर पर विजिटिंग रजिस्टर में मंदिरों के रख रखाव की सराहना की और इनके सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने सुझाव भी दिए। राज्यपाल डेका ने ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक नगरी सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत देशी आम के पौधे का रोपण किया। इस अवसर पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह, वनमण्डलाधिकारी पंकज राजपूत, जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक सहित पुरातत्व विभाग के अधिकारी, एडिशनल एसपी प्रतिभा पाण्डेय, अपर कलेक्टर रवि साहू, एसडीएम महासमुंद उमेश साहू उपस्थित थे।

कृषि विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों पर 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी भी कर सकेंगे आवेदन

- ओपन काउंसलिंग के लिए 31 अगस्त से 3 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित

रायपुर । आरएनएस

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित 39 शासकीय एवं निजी कृषि महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के बी.एस.सी. कृषि (ऑनर्स) स्नातक पाठ्यक्रम में ''नवीन शिक्षा नीति 2020'' के तहत रिक्त सीटों हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया ओपन कर दी गई है। इसके तहत 12वीं उत्तीर्ण निम्न योग्यताधारी अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं - ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञान समूह (भौतिक, रसायन एवं गणित या भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान) अथवा कृषि समूह (कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, पशुपालन एवं कुक्कुट पालन) के साथ 12वीं उत्तीर्ण की हो वे इस आनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु योग्य होंगे। पूरक परीक्षा 2024 से 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होने हेतु योग्य नहीं होंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 12वीं में 50 प्रतिशत एवं अरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत अंक होना आवश्यक होगा। काउंसलिंग में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी एवं अन्य प्रदेशों के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मूलन निवासी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटें अन्य प्रदेशों के योग्य अभ्यर्थियों (न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक आवश्यक) से भरी जाएगी।

अभ्यर्थियां का काउंसलिंग में भाग लेने हेतु 31 अगस्त से 05 सितम्बर, 2024 रात्रि 11:30 बजे तक ऑनलाइन पंजीयन एवं दस्तावेज अपलोड करना होगा। 4 सितम्बर, 2024 रात्रि 11:30 बजे तक असफल फीस ट्रांजेक्शन वाले अभ्यर्थियों को पुन: फीस जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन हेतु कृषि महाविद्यालय, रायपुर में 5 से 7 सितम्बर, 2024 तक प्रात: 09 से सायं 5:30 बजे तक उपस्थित होना होगा। 09 सितम्बर, 2024 को प्रावीण्य सूची अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थियां को सीट आबंटन, आवश्यक होने पर सीट कन्वर्जन एवं फीस जमा करने हेतु कृषि महाविद्यालय, रायपुर में पंजीकृत पी.ए.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 16 सितम्बर, 2024 का उपस्थित होना होगा एवं पंजीकृत 12वीं उत्तीर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश के मूल निवासी वाले अभ्यर्थियों को 11 सितम्बर, 2024 को उपस्थित होना होगा।

सीएमएचओ ने डेंगू सोर्स रिडक्शन एवं सर्वे कार्य का किया निरीक्षण

- अधिकारियों द्वारा की जा रही नियमित मॉनिटरिंग, प्रभावित क्षेत्रों में किया जा रहा टेमीफॉस का छिड़काव

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में सीएमएचओ डॉ.बी.के.चन्द्रवंशी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैंकरा द्वारा आज रायगढ़ शहरी क्षेत्र के लक्ष्मीपुर में डेंगू के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु चल रहे सोर्श रिडक्शन एवं लार्वा सर्वे कार्य का औचक निरीक्षण किया गया। जहां कार्यकर्ता एवं मितानिनों की उपस्थिति में नियमित रूप से लार्वा सर्वे कार्य की गुणवत्ता का आंकलन किया गया। उन क्षेत्र में डेंगू की मरीजों की संख्या में काफी गिरावट भी देखने को मिल रही है।

सीएमएचओ डॉ.चंद्रवंशी ने उपस्थित कर्मचारियों को डेगू नियंत्रण हेतु समस्त गतिविधियों का संचालन में निरंतरता बनाये रखने साथ ही आवश्यक सामग्रियों जैसे की टेमीफॉस, बीटीआई, पाम्प्लेट एवं रिपोर्टिंग फार्मेट आदि की उपलब्धियां भी बनाये रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बरसात के समय कुछ स्थानों पर पानी का ठहराव रहता है जिसके कारण उन क्षेत्रों में लार्वा पाये जाने की संभावना बनी रहती है ऐसे जगहों में सर्वे करके लार्वा नाशक टेमीफॉस का उपयोग स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है कि ताकि नियंत्रण एवं रोकथाम की स्थिति बनी रहे। जिला स्तर से अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं नगर निगम के सहयोग से प्रभावित क्षेत्रों में टेमीफॉस का छिड़काव करवाया जा रहा है। लार्वा नाशक दवाई टेमीफॉस सभी मितानिनों के पास उपलब्ध कराया गया है साथ ही साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को समझाईश भी दी जा रही है कि बुखार आने पर या डेंगू के किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संपर्क करें या फिर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य संस्थाओं में डेंगू का टेस्ट एवं इलाज करायें।

सीएमएचओ डॉ.चन्द्रवंशी द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि सभी स्त्रोतों जैसे गमले, कुलर, फ्रिज के पीछे का ट्रे, टायरों में भरा पानी, मटके व अन्य स्त्रोतों को अनिवार्य रूप से खाली करें एवं अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें ताकि डेंगू मच्छर को पनपने से रोका जा सके। रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। मच्छरों से बचने के लिए नीम का धुआं, मच्छर अगरबत्ती, ओडोमास आदि का उपयोग करें। हमेशा फूलस्तिन के कपड़े पहनें। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें ताकि रायगढ़ जिले को डेंगू मुक्त किया जा सके।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU